न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 82/2017

श्री पुखराज नट पुत्र श्री भैरूलाल नट जाति नट उम्र 68 साल निवासी ग्राम जामोला तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

————वादी

ब ना म

1– श्री रामा पुत्र लाला जाति चमार निवासी ग्राम जामोला तहसील मसूदा जिला–अजमेर हाल निवासी ग्राम जगपुरा तहसील बदनोर जिला–भीलवाडा

2– राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार, मसूदा जिला–अजमेर राज0

3– राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् उपंपजीयक महोदय मसूदा

————प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी एंव धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर प्रस्तुत हुआ।

आदेश दिनांक 01.5.2018

उक्त प्रकरण में प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी एंव धारा 207 राज0काश्त0अधि0 का प्रस्तुत कर सारांशतः निवेदन किया है, कि वादी द्धारा प्रस्तुत वाद में आधार स्वरूप एक कत्तई बैचान इकरार प्रस्तुत किया गया है, तथा उस इकरारनामे के आधार पर वादग्रस्त भूमि में खातेदारी अधिकारो की घोषणा हेतू उक्त वाद प्रस्तुत कर दिया है जो विधि सम्मत नही है। प्रस्तुत इकरारनामे के आधार पर वादी केवलमात्र सिविल कोर्ट में स्पेसिफिक परफोरमेंस ऑफ दी कॉन्ट्रेक्ट का वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि के विषय में कानून उनको दावा करने की इजाजत देता है, तो ही वे खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हो सकते है, जबकि यह रेमेडी मियाद बाहर हो चुकी है। इसलिये रेवेन्यू न्यायालय को इस विषय में प्रकरण सुनने का क्षैत्राधिकार नही होने के कारण से वाद काबिल खारीज होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारीज किया जावे।

प्रकरण में अप्रार्थी/वादी के प्रार्थना पत्र के तथ्यो को नकारते हुये वादी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का खरीद दिनांक 31.7.1992 बेचान इकरार से कब्जा काश्त चला आ रहा है, के आधार पर वादी ने खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतू वाद प्रस्तुत किया है। तथा प्रतिवादी रामा ने विवादित भूमि को दिनांक 21.7.2017 को श्रीमति पार्वती पत्नि श्री शंभूलाल भांबी जाति भांबी निवासी ग्राम मोयणा तहसील मसूदा को पुनः बेचान कर दी गई है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के साथ धोखाधडी कारीत की गई है, जिस बाबत वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध परिवाद पत्र भी फौजदारी न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिस पर पुलिस थाना मसूदा ने मुकदमा दर्ज कर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध धारा 420, 406 भा.द.सं. के तहत चालान भी न्यायालय में प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है, अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे। तथा दस्तावेजात प्रमाणित प्रतिलिपी फोजदारी न्यायालय की प्रस्तुत की गई।

प्रकरण में प्रार्थना पत्र बहस उभयपक्षान अधिवक्ता की सुनी गई। प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र का कथन करते हुये वादी का वाद खारीज किये जाने का निवेदन किया और अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2017 डी.एन.जे. (रेवेन्यू) पेज 129 एंव आर.आर.डी. 1992 पेज 414 व धारा 207 रेवेन्यू कोर्टस पेश किया। वादी अधिवक्ता ने अपने जवाब के कथनो को दोहराते हुए प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने का निवेदन किया।

.....लगातार

मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र, जवाबप्रार्थना पत्र, पत्रावली एंव प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वादी ने अपने वाद में इकरारनामा बेचान दिनांक 31.7.1992 के अनुसार खातेदारी प्राप्त करने का अनुतोष चाहा गया है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट कथन किया गया है, कि इस प्रकरण को सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही होकर सिविल न्यायालय को है। वादी द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा बेचान दिनांक 31.07.1992 जो अनरजिस्टर्ड दस्तावेजात है, और पंजीयन भी नही है जो कि विधि के प्रावधानो के अनुसार इकरारनामा बेचान की परिभाषा में आता है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **आर0आर0डी0 1992 पेज 414 रामस्वरूप वगैरह बनाम छजुलाल वगैरह में धारा 207 के अनुसार** Suit On The Basis Of Agreement To Sell is Cognizable By Civil Court Only. एंव **न्यायिक दृष्टांत 2017 डी0एन0जे0 रेवेन्यू पेज 129 भाकरराम मेघवाल बनाम सुजाराम मेघवाल वगैरह में** Where Suit For Declaration Of Khatedari rights is based On unregistered sale deed then such suit for Declaration is not maintainabal before the Revenue court. वादी ने जो प्रमाणित प्रतिलिपी फौजदारी न्यायालय की प्रस्तुत की गई है, उसमें केवलमात्र प्रतिवादी पर सारांश आरोप सुनाया गया है, जबकि फौजदारी न्यायालय में उक्त प्रकरण विचाराधीन होना पाया गया। जबकि विधि का प्रावधान है, फोजदारी न्यायालय का निर्णय सिविल व रेवेन्यू वाद पर प्रभावित नही होता है। ऐसी स्थिति में उक्त न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण में पूर्ण रूप से लागू होते है तथा उक्त विवेचन के आधार पर उक्त प्रकरण को सुनने का अधिकार क्षैत्र इस न्यायालय को नही होने के कारण से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी एवं धारा 207 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध खारीज किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

आदेश आज दिनांक 1/3/18 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.05 16:41:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: